न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **जीतू कुलहरी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः **37/2020** दायर दिनाँक **09.07.2020**

प्रार्थी		**अप्रार्थीगण**
1. प्रतापसिंह पुत्र मोहनसिंह उम्र 43 वर्ष जाति राजपुत निवासी निम्बी कलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. मगनसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपुत निवासी निम्बी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

प्रार्थना–पत्र बाबत्
अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 212 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र माथुर वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **08.08.2023**

राजस्व प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप्त में प्रार्थी की तरफ से अप्रार्थीगण के विरूद्ध निम्न प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करता है।

यह है कि प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष सुदृढ आधारो पर एक वाद पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण का सफलता मिलने की पूर्ण आशा है तथा प्रार्थी ने एक वाद सं0 34/2019 श्रीमान न्यायालय में पेश कर रखा है जो विचाराधीन है।

यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी व अन्य के कब्जा काश्त व संयुक्त पैत्रिक खातेदारी के खेत खसरा सं0 310 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0मु0 चाह, खसरा सं0 311 रकबा 0.07 हैक्टे0, खसरा सं0 312 रकबा 0.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 313 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 314 रकबा 3.6500 हैक्टे0, खसरा सं0 315 रकबा 3.5600 हैक्टे0, खसरा सं0 318 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 319 रकबा 0.9700 हैक्टे0 व खसरा सं0 320 रकबा 2.3000 हैक्टे0 कुल खसरा 9 कुल रकबा 10.72 हैक्टे0 वाके सरहद निम्बी कलां पटवार हल्का निम्बी कलां में अवस्थित है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि प्रार्थी के दादा देवीसिंह व उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थी के पिता मोहनसिंह व उनके भाईयों के नाम से संयुक्त खातेदारी की रही तथा प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थी व अन्य के संयुक्त कब्जा काश्त की चली आ रही है। उपरोक्त खेताय में प्रार्थी व अप्रार्थी पक्ष के बीच में पूर्व में वर्षो पहले मौखिक रूप से बंटवारा हो गया था एवं मौखिक बंटवारा अनुसार मौके पर सींवे–नीवें कायम कर प्रार्थी व अप्रार्थी पक्ष पैत्रिक कृषि भूमि में अपनी–अपनी अलग से काबिज काश्त हो गये। परन्तु उक्त पैत्रिक कृषि भूमि का विधिवत बंटवरा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नही हुआ है। वर्तमान में उक्त पैत्रिक कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की चली आ रही है मगर अप्रार्थी पक्ष प्रायः पूर्व में हुए बंटवारे को लेकर व सीमाकंन को लेकर विवाद करते रहते है इसलिए उक्त कृषि भूमि का विधिवत् बंटवारा करवाने हेतु वाद पेश किया हुआ है।

यह है कि प्रार्थी व वाद के प्रतिवादी सं0 01 ता 07 अपने अपने हक हिस्से व बंट की कृषि भूमि अनुसार पूर्व मौखिक बंटवारा अनुसार मौके पर काबिज काश्त वर्षो स`चल आ रहे है तथा वर्तमान में अप्रार्थी [illegible] आड़ में वर्षो पूर्व हुये मौके पर मौखिक बंटवारा को अब चूनौती देने लग[illegible] त[illegible]र्थी के बन्ट की उक्त पैत्रिक कृषि भूमि पर समय–सम[illegible] हक व बंट में आई भूमि पर काश्त करने व अवेर[illegible] के दखल अन्दाजी [illegible] है तथा ऐलानियां धमकिया देते है कि हमारा नाम संयुक्त खातेदारी में है तथा हम अप्रार्थीगण आपके बंट व कब्जा काश्त की भूमि किसी अन्य को बेचाण कर दे[illegible]था पैत्रिक कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकियां दे रहे तथा प्रार्थी के हिस्से की 1/12 भाग की भमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:18:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

को स्वतंत्र उपयोग व उपभोग में लेने में संयुक्त खातेदारी की आड़ में अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है और प्रार्थी के हितो व अधिकारो को चुनौती देने लगे है। तब यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि विधिवत् बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाने हेतु बंटवारा का वाद पेश किया हुआ है।

यह है कि अप्रार्थी मगनसिंह खेत खसरा सं0 310, 311, 312, 313, 314 की भूमि में बिना बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा कराये बिना ही निर्माण कार्य शुरू कर रखा है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी मना करने से भी अप्रार्थी ने उक्त निर्माण कार्य नही रोका तथा जबरन निर्माण कार्य कर रहा है उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में प्रार्थी रिकॉडेड खातेदार है तथा खसरा की हर इंच भूमि में उसका हिस्सा है। जिस कारण अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में निर्माण करने का प्रार्थी के हित प्रभावित हो रहे है। जिस कारण प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अमर अस्थायी निषेधाज्ञा ता–फैसला मूल दावा जारी फरमावे कि सरहद निम्बी कलां के खेत खसरा सं0 310, 311, 312, 313 व 314 में अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्से की जमीन में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी, रहन, हरक्षेप, बैचाण, बेदखल न तो स्वयं करे ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे तथा दौराने वाद वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार कच्चा पक्का निर्माण नही करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना–पत्र का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं0 01 को जरिये समन तलब किया गया। बावजूद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, प्रार्थी, प्रार्थना–पत्र मूल वाद तक कन्फर्म किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

–:आदेश :–

मौजा निम्बी कलां पटवार हल्का निम्बी कलां की शहरद मे खेत खेत खसरा सं0 310 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0मु0 चाह, खसरा सं0 311 रकबा 0.07 हैक्टे0, खसरा सं0 312 रकबा 0.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 313 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 314 रकबा 3.6500 हैक्टे0 की भूमि में प्रार्थना–पत्र मूल वाद तक कन्फर्म किया जाता है।

(जीतू कुलहरी **R.A.S.**)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

उक्त निर्णय आज दिनाँक **08.08.2023** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:18:18 IST
Reason: Self Attested

(जीतू कुलहरी **R.A.S.**)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner